

**न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर**  
पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या : 07/21 (वि.प्रा.पत्र)  
**GCMS No : 2021/71**

1. श्री फतहसिंह पिता गुलाबसिंह देवडा राजपूत निवासी मेडता तह. मावली।

.....प्रार्थी

**बनाम्**

1. श्री दिनेश पिता खेमराज डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित—1.** श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री हिरालाल सालवी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**—: निर्णय :—**

**दिनांक : 07.11.2022**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 646 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 3375/648 रकबा 0.2347 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 648 रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि में आने जाने का रास्ता प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित होकर उक्त रास्ता विपक्षी सं. 1 के खातेदारी आराजी नम्बर 3491/644 एवं बिलानाम आराजी नम्बर 644 में होकर प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी के समय से आते जाते रहे हैं एवं अपने उक्त खातेदारी के खेतों में खाद बीज ले जाने के लिए हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाते ले जाने के लिए विपक्षी के खातेदारी एवं बिलानाम की आराजी के भाग में से होकर मुख्य रास्ता



तक जो प्रार्थी के भूमि के उत्तर दिशा में स्थित है तक हल बैलगाडी देकर आदि लाते ले जा रहे है। उपरोक्त प्रार्थी के कृषि जोत तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है और न ही मंजुर शुदा अन्य कोई रास्ता हैं।

3. यह कि उपरोक्त आराजी नम्बर 3491/644 विपक्षी सं. 1 के खातेदारी दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी नम्बर 644 विपक्षी के उक्त आराजी के सटमें में ही स्थित होकर बिलानाम सरकारी भूमि है प्रार्थी एवं उसके पूर्वाधिकारी आराजी संख्या 3491/644 एवं आराजी नम्बर 644 से कदीम से अपने खातेदारी आराजीयात की भूमि पर आते जाते रहे है तथा मौके पर विपक्षीगण के उक्त दोनों आराजीयात की भूमि में 30-35 फीट चौडा रास्ता बना हुआ हैं। प्रार्थी के अलावा बिलानाम भूमि में होकर अन्य खातेदारान भी आते जाते रहे हैं।
4. यह कि दिनांक 14.01.2021 को प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में हेतु हल ट्रेक्टर बैलगाडी से जाने लगे तो विपक्षी सं. 1 ने आने जाने के लिए मना कर दिया तथा सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 644 में भी विपक्षी सं. 1 ने मौके पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करने की नियत से रेती, पत्थर, ईटे डलवाकर पक्का मकान बनवाना शुरू कर दिया है प्रार्थी द्वारा मा करने वों प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गया तथा प्रार्थी को कहा की आज के बाद हमारे खेत में न तो तुम स्वयं प्रवेश करोगे और ना ही हल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि प्रवेश कराओगे प्रार्थी को विपक्षी सं. 1 ने कहा कि हम आपके उक्त आराजीयात में से होकर उत्तर दिशा में स्थित आम रास्ता तक भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है तो विपक्षी ने प्रार्थी को धमकी दी की आइन्दा हमारे खेतो से होकर किसी भी तरह प्रवेश नहीं करोगे और ना ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में इस तरह प्रार्थी के पास अपने खेतो में आने जाने

के लिए उक्त विपक्षी सं. 1 की खातेदारी की भूमि एवं आराजी नम्बर 644 में से होकर आने जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और ना ही रेकार्डेड कोई रास्ता उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपने खेतों की बुवाई के लिए खेतों में आने जाने के लिए हल, बैलगाडी आदि लाने ले जाने के लिए विपक्षी सं. 1 के आराजी नम्बर 3491/644 एवं बिलानाम आराजी संख्या 644 से मुख्य रास्ता तक 30 फीट चौड़ाई के रास्ता प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में रास्ता कायम कराने के लिए प्रार्थी कानूनन अधिकारी हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 14.01.2021 को पैदा हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात से होकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में आने जाने से रोका उसके बाद वाद कारण विपक्षीगण के विरुद्ध लगातार जारी हैं।
6. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम विजनवास के आराजी संख्या 3491/644 एवं बिलानाम आराजी नम्बर 644 में से मुख्य रास्ता तक 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के आराजी में आने जाने के लिए हल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता प्रदान कराया जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख में नया रास्ता कायम फरमाया जावे तथा बिलानाम आराजी संख्या 644 से विपक्षी सं. 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण तथा निर्माण कार्य को हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब मय आपत्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी फतहसिंह पिता गुलाबसिंह देवडा द्वारा विपक्षी दिनेश डांगी के विरुद्ध राजस्व ग्राम विजनवास में स्थित आराजी नम्बर 3491/644 की

खातेदारी भूमि बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने विपक्षी के खातेदारी की भूमि से रास्ता चाहा गया है, जबकि उक्त कृषि भूमि विपक्षी श्री दिनेश पिता खेमराज डांगी के अकेले के खाते दर्ज नहीं होकर उक्त आराजीयात के कुल चार खातेदार है जिसमें विपक्षी दिनेश पिता खेमा ांगी का 1/4 हिस्सा है, दुर्गा बाई पुत्री खेमा डांगी का 1/4 हिस्सा, कमला पुत्री खेमा डांगी का 1/4 हिस्सा तथा लेहरीबाई बेवा खेमा डांगी का 1/4 हिस्सा है व इसी हिस्सेनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। विपक्षी सं. 1 दिनेश डांगी व अन्य सहखातेदारों ने मौके पर भूमि को काफी लागत लगाकर कृषि योग्य बनाई है तथा उक्त भूमि के कुछ भाग पर पत्थर की पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा कुछ भाग पर पत्थर की कोट बना रखी है व शेष भाग पर कांटो की बाड कर रखी है और पिछले 40 साल से भी अधिक समय से काबिज हो काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

8. यह कि प्रार्थी ने सभी सहखातेदारों को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विपक्षी सं. 1 के अलावा अन्य सहखातेदार भी मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है, जिन्हे बिना पक्षकार बनाये व बिना उन्हे सुनवाई का अवसर दिये न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में लाया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य हैं।
9. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 646, 3375/648 व 648 में आने जाने के लिए विपक्षी के खातेदारी की आराजी संख्या 3491/644 से रास्ता जाता हो तथा प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी उक्त आराजी से ही पूर्व में आते जाते रहे हो, यह कहना पूर्णतया असत्य है, बल्कि प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी अन्य रास्ते से

आते जाते रहे है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जहां से बैलगाडी, ट्रैक्टर इत्यादि ले जाते रहे है, लेकिन प्रार्थी की नियत में अब खोट आने से विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी से दूसरा रास्ता चाहते है, जबकि उनके पास पहले से ही दो तरफ से रास्ते मौजूद है जहां से प्रार्थी अभी तक आता जाता रहा है तथा उसके पूर्वाधिकारी भी उन्ही वैकल्पिक रास्ते से आते जाते रहे हैं। प्रार्थी के पूर्वाधिकारी को कभी भी रास्ते सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं रही है, लेकिन पूर्वाधिकारी से प्रार्थी द्वारा जमीन खरीदने के बाद भी नये रास्ते के लिए विवाद किया जा रहा है। प्रार्थी काश्तकार नहीं होकर प्रोपर्टी डीलर है तथा भूमि की कीमत बढ़ाने के लिए विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि से जबरन नया रास्ता चाहता है जबकि प्रार्थी के उक्त खातेदारी भूमि पर जाने आने के लिए पूर्व से दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है जो आराजी संख्या 644 बिलानाम सरकार से रास्ता जा रहा है तथा दूसरा आराजी नम्बर 652, 653 से रास्ता जा रहा है व वर्तमान में उक्त रास्ता मौजूद हैं।

10. यह कि आराजी संख्या 3491/644 विपक्षी सं. 1 के अकेले खाते दर्ज नहीं होकर विपक्षी सं. 1 के अलावा अन्य सह खातेदार और मौजूद है जिनको उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आराजी में विपक्षी का 1/4 हिस्सा है तथा शेष 3/4 हिस्से के अन्य सहखातेदार है जिनका मौके पर विपक्षी के साथ संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी आराजी संख्या 3491/644 में सदीप से आ जा रहे हो तथा यह कथन भी गलत है कि विपक्षी की उक्त आराजीयात में 30-35 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ हो तथा यह कथन भी गलत है कि प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदारान भी जाते आते हों।

11. यह कि दिनांक 14.01.2021 को विपक्षी की उक्त आराजी संख्या 3491/644 में होकर हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर ले जाने लगा हो व विपक्षी ने मना कर दिया हो, बल्कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी के उक्त खातेदारी आराजीयात से उक्त दिनांक को कोई हल, ट्रैक्टर, बैलगाडी नहीं ले जाया गया, न कभी पूर्व में ले जाया गया। विपक्षी की उक्त आराजीयात पर मौके पर वर्षों से बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है व मौके पर खेती बाडी करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि विपक्षी द्वारा आराजी नम्बर 644 बिलानाम सरकार में किसी तरह से अवैध कब्जा कर रेती पत्थर ईट डलवाई हो व मकान बना रहा हो, सारे आरोप बेबुनियाद व झूठे अंकित किये गये है। विपक्षी का कब्जा अपने खातेदारी आराजी पर ही है जो पिछले 40 साल से चला आ रहा है। विपक्षी ने प्रार्थी के साथ में उक्त दिनांक को कोई झगडा नहीं किया है और न ही ऐसी कोई घटना ही घटित हुई हैं। प्रार्थी बिलानाम सरकार आराजी संख्या 644 से जो रास्ता पूर्व से ही खुला पडा हुआ है जिससे आता जाता है व उक्त भूमि खरीदने से पूर्व उसके पूर्वाधिकारी भी उसी रास्ते से आते जाते रहे है। इसके अलावा एक अन्य रास्ता आराजी नम्बर 652 व 653 से आता जाता है जिससे प्रार्थी वर्तमान में आ जा सकता है लेकिन विपक्षी को परेशान करने की नियत से ही विपक्षी के खातेदारी की आराजीयात से जबरन नया रास्ता लेना चाहता है जो कानूनन गलत हैं। वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए नया रास्ता देने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है, न ही नया रास्ता दिया ही जा सकता हैं। प्रार्थी के पास दो वैकल्पिक रास्ते हुए विपक्षी के खातेदारी की आराजीयात से नया रास्ता प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं हैं।
12. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में जाने आने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में डी.एल.सी रेट से नया रास्ता प्रार्थी को कानून नहीं

दिलाया जा सकता। जबकि विपक्षीगण को असुविधा व भारी अर्थिक नुकसान होगा। दिनांक 14.01.2021 को प्रार्थना पत्र का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

13. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी भू माफिया है तथा भूमि की कीमत बढ़ाने के लिए हल्का पटवारी से मिलीभगत कर व विपक्षी व अन्य सह खातेदारों की अनुपस्थिति में मौका पर्चा बनाया गया, जबकि प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते पूर्व से ही मौजूद है। पटवारी द्वारा अन्य वैकल्पिक रास्ते होते हुए भी विपक्षी की खातेदारी में से 30 फीट चौड़ी व करीब 100 फीट लम्बाई के रास्ते का प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में पेश किया गया है जो कानूनन गलत है, जबकि विपक्षी अपनी खातेदारी भूमि पर पिछले 40 वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी के उक्त खातेदारी आराजी में से कोई रास्ता नहीं जाता है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीदने से पूर्व उसके पूर्वाधिकारी उक्त दो वैकल्पिक रास्तो से आते जाते रहे है व अपनी बैलगाडी व ट्रैक्टर आदि लाते ले जा रहे है व प्रार्थी भी उन्ही दो वैकल्पिक रास्ते से आ जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा एक नये रास्ते की मांग कानूनन गलत हैं व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सब्यय खारिज फरमाया जावे व विपक्षी को विशेष हर्जे खर्च के रूप में 20,000/- रूपया दिलाया जावें।

14. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।

15. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब मय आपत्ति में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 646, 3375/648, 648 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया है। जो न्यूनतम दूरी का है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौड़ाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 3491/644 रकबा 0.8094 हेक्टेयर में से 0.0156 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही है जो 30 फीट चौड़ी है। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,89,854/- अक्षरे एक लाख नवासी हजार आठ सौ चौवन रूपयें प्रति बीघा है। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0156 हेक्टेयर की कुल कीमत 18,294/- अक्षरे अठारह हजार दौ सौ चौरानवे रूपयें होना बताया है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा विजनवास पटवार क्षेत्र विजनवास की आराजी नम्बर 646, 3375/648, 648 में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 3491/644 एवं 644 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता वर्षों से बना होकर वादग्रस्त आराजीयात के उत्तर दिशा में होना बताकर प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही इसका उपयोग उपभोग करना बताया है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता है। विपक्षी द्वारा आपत्ति पेश कर निवेदन दिया कि प्रार्थी द्वारा आराजी 3491/644 से रास्ता चाहा गया है तो इस आराजी के मुझ विपक्षी के अलावा अन्य सहखातेदार है, जिसे पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाया गया है। रहा प्रश्न अन्य सह खातेदार को पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाये जाने का तो अन्य सहखातेदारों को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 3491/644 रकबा 0.8094 हेक्टेयर में से 0.0156 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 0.0156 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

### —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार क्षेत्र विजनवास की आराजी नम्बर 646, 3375/648, 648 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार की आराजी नम्बर 3491/644 रकबा 0.8094 हेक्टेयर में से 0.0156 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावे। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1,89,854/— अक्षरे एक लाख उनासी हजार आठ सौ चौवन रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0156 हेक्टेयर की कुल कीमत 18,294/— का दुगुना 36,588/— रूपयें अक्षरे छत्तीस हजार पाँच सौ अठासी रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं.

1 एवं अन्य सहखातेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

( श्रीकान्त व्यास )  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली